

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-3-A

दिनांक- 10/06/2015

--:: संशोधित आदेश ::--

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-2 दिनांक 09.06.15 के द्वारा क्रम संख्या 35 व 44 पर व आदेश क्रमांक SQ-1 दिनांक 08.06.15 के क्रम संख्या 46 पर अंकित चिकित्सकों के आदेशों में निम्नानुसार आंशिक सशोधन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

S. No	नाम अधिकारी	पद	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
1	डा0 फहमीदा बानों	चि.अ.	सीएचसी मकराना नागौर से सीएचसी मोलासर नागौर स्थानान्तरणाधीन	सीएचसी बडी सादडी चित्तौडगढ	रिक्त पद पर
2	डा0 संदीप चौधरी	चि.अ.	पीएचसी तरनाउ नागौर से पीएचसी डेह नागौर स्थानान्तरणाधीन	सीएचसी जायल नागौर	रिक्त पद पर
3	डा0 पंकज कुमार गौड	व.चि.अ.	बीसीएमओ देवाढ राजसमन्द से सीएचसी भीण्डर उदयपुर स्थानान्तरणाधीन	सीएचसी झूंगला चित्तौडगढ	रिक्त पद पर

उक्त स्थानान्तरणों में प्रभावित चिकित्सकों को नियमानुसार कार्यग्रहण अवधि व यात्रा भत्ता देय होगा।

तथा आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-2 दिनांक 09.06.15 के क्रम संख्या 52 पर डा. विकास बंसल, चि.अ. एवं क्रम संख्या 94 पर अंकित डा0 जयन्ति लाल मीणा, चि.अ. व SQ-1 दिनांक 08.06.15 के क्रम संख्या 42 पर अंकित डा. मनोज कुमार मीणा, चि.अ. के आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं, फलस्वरूप उक्त चिकित्सक अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुश शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव व मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, संबंधित।
8. निदेशक (ई.एस.आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानान्तरित चिकित्सकों को संबंधित चिकित्सा संस्थानों में समकक्ष अथवा उच्च रिक्त पदों पर निश्चित रूप से कार्यग्रहण करावें व पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण करवाकर अधो-हस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त करें।
11. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर **आज ही** अपलोड करने का श्रम करें।
13. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।